पुष्कर

आंशिक स्वीकार / निस्तारित
10.10.2019

FORM NO III

APP-A

Crim-1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

देवेन्द्र कुमार पुत्र ... कमल किशोर पुत्र विष्णु प्रसाद

बनाम

जाति ब्राह्मण व अन्य । जाति ब्राह्मण व अन्य

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट नम्बर 378/2019 सन् 20 19 ( ) पुष्कर

2019/00378 (ग्राम पुष्कर)

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर श्री शशिकान्त जोशी श्री	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
10/10/19	अपील श्री शशिकान्त जोशी / अमन झंवर एड्वोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर के आदेश दिनांक 27.03.2019, प्रकरण संख्या 10/2019 के विरूद्ध अन्तर्गत 225 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश की गई। अपील बाद जॉच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील मियाद बाहर पेश की गई, जिसके समर्थन में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पेश किया गया। जिस पर अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट के कथन एवं प्रस्तुत शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए तथा आदेश दिनांक 27.03.2019 निरन्तरता में होने से न्यायहित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है। अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। तत्पश्चात अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन व अपील पर अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस निवेदन किया कि अपीलांटस कृषि भूमि स्थित ग्राम व तहसील पुष्कर के वर्किंग जमाबंदी के खाता संख्या 79 गत खसरा नम्बर 377 रकबा 01–05–10 के अभिलिखित खातेदार कृषकगण है तथा वर्किंग नक्शा ट्रेस का आधार नक्शा ट्रेस से मिलान करने पर अपीलांटस की खातेदारी के गत खसरा नम्बर 377 के हाल खसरा नम्बर क्रमशः 98/2364, 98/2755, 57/2657 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है. मूर्तिब कर आधार नक्शा ट्रेस में वर्किंग नक्शा ट्रेस की भांति बंदोबस्त विभाग द्वारा दर्शायें जाने चाहिए थे, किन्तु उन्होने बिना किसी सक्षम न्यायिक आदेश के गत प्रविष्टियों का जमाबंदी एवं नक्शें मे सही दौहरान न करते हुए आधारभूत खसरा नम्बर 98/2364 रकबा 0.24 है. को सम्पूर्ण तौर पर कुछ रेस्पोडेन्टस के नाम दर्ज कर दिया एवं खसरा नम्बर 98/2363 रकबा 0.05 है0 को त्रुटिपूर्ण रूप से अपीलांटस के नाम दर्ज कर दिया। बंदोबस्त विभाग द्वारा वर्तमान जमाबंदी एवं नक्शें में कारित त्रुटि का ज्ञान होते ही अपीलांटस ने इसे दुरूस्त करवाने हेतु एक नियमित राजस्व वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया अपने वाद पत्र को मुताबिक अनुतोष खण्ड के डिक्री फरमाने का निवेदन किया तथा साथ ही वाद पत्र के कथनों के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज करते हुए स्थगन की पत्रावली में पूर्ण अन्तरिम स्थगन का अनुतोष प्रदान न करतें हुए आंशिक अनुतोष केवल मात्र बेचान बाबत् आदेश दिये है जबकि प्रश्नगत प्रकरण में विवादित आराजी के वर्तमान जमाबंदी, राजस्व नक्शें, मिलान क्षेत्रफल आदि में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा गत प्रविष्टियों का दौरान न कर त्रुटि कारित करते हुए गत रिकार्ड के हिसाब से वर्तमान रिकार्ड कायम नहीं किया जिस वजह से विवादित आराजी वर्तमान राजस्व नक्शें में मौके पर गलत दर्शित हो रखी है जिसका नाजायज फायदा उठाते हुए प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्टस मौके की वर्तमान स्थिति में बदलाव कर सकते है इसलिए विवादित आराजी के मौके एवं राजस्व अभिलेख की यथास्थिति बाबत् आदेश भी विचारण न्यायायल को	लगातार

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

तारीख पेशी	हुक्म या कार्यवाही मय हस्ताक्षर	नम्बर व तारीख अहकाम जोइस हुक्म की तामील जारी हुए
	श्री श्री	

प्रदान करने चाहिए थे जो उनके द्वारा प्रदान नहीं किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश दिनांक 27.03.2019 से आंशिक असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

अभिभाषक अपीलांटस बहस में आगे कथन किया कि अपीलाधीन आदेश को आंशिक तौर पर दुरूस्त यथास्थिति बाबत् नहीं किया जाता है तो उक्त आदेश की आड़ में रेस्पोडेन्टस, अपीलांटस की खातेदारी की आराजी की स्थिति में बदलाव करने पर आमादा है, यदि ऐसा हो जाता है तो अपीलांटस को अपूर्णनीय क्षति कारित होगी। प्रथम दृष्टया प्रकरण एवं सुविधा का सन्तुलन अपीलांटस के पक्ष में साबित है। न्यायालय हाजा से अनुरोध है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर क्रमशः 98/2364, 98/2755, 57/2657 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है. ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर की राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु उभयपक्षकारान को पाबंद किया जावें या अपील स्वीकार फरमायी जाकर ताफैसला प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा उभयपक्षों को पाबंद फरमाये जावें कि वे विवादित आराजी के मौके व राजस्व रिकार्ड की वर्तमान यथास्थिति को कायम रखें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने पक्ष में 2018 आर.आर.टी.(1)पेज 156, 2004 आर.बी.जे.पेज 606, 2013 डी.एन.जे0 (1)पेज170, 2014(1) डी.एन.जे. पेज 35 (राज.) के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

अभिभाषक अपीलांटस की एक पक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की प्रति एवं प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टातों का अवलोकन किया गया। रिकार्ड अवलोकन से जाहिर है कि उभयपक्षों के मध्य कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद विद्यमान है। इस सम्बन्ध में उच्चतर न्यायालयों के विभिन्न न्यायिक दृष्टांत में पारित सिद्धान्त की अवधारणा के अनुसार कृषि भूमि के सम्बन्ध में सद्भाविक विवाद मौजूद होने पर विवादित आराजी यथास्थिति के आदेश से संरक्षित किया जाना न्यायसंगत है। चूँकि अपीलांटस/वादीगण ने अपने वाद पत्र में भी विवादित आराजी के सम्बन्ध में राजस्व नक्शें, जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल की दुरूस्ती बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रखा है जिसका निस्तारण बाद साक्ष्य व सुनवाई होना है इसलिए न्यायहित में उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विवादित आराजी के भौतिक स्थिति एवं राजस्व अभिलेख को यथावत् रखा जाना न्यायहित में उचित है।

अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम का निस्तारण 60 दिवस में करें तब तक उभयपक्षकारान विवादित आराजी खाता सख्या 79 के गत खसरा नम्बर 377 रकबा 01–05–10 बीघा हाल 98/2364, 98/2755, 57/2657 कुल किता 3 कुल रकबा 0.21 है. वाकै ग्राम पुष्कर तहसील पुष्कर को रहन, बय व मुन्तकिल नहीं करें तथा विवादित आराजी के राजस्व रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावें । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा का निस्तारण हो जाने पर न्यायालय हाजा को आदेश निष्प्रभावी रहेगा। आदेश की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

10/10/19